Pls pu. today EM(HQ)
6/8

CEM
process futher
6/8

श्रीमान् आवासन आयुक्त महोदय,

राजस्थान आवासन मण्डल

जयपुर।

EM/629
06/8/2020

AHO/AAO
454
06/08/20

7/8/20

विषय :— न्यू ब्राईट लैण्ड पब्लिक स्कूल समिति, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर को I.G. Nagar आवासीय योजना, जगतपुरा, जयपुर में महाविद्यालय हेतु लगभग 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने बाबत्।

सन्दर्भ :— उप—आवासन आयुक्त वृत—तृतीय, जयपुर का पत्र क्रमांक 5979 दिनांक 07.03.2012.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत् संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि हमारी संस्था सन् 1995 से पंजीकृत है एवं शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक—36 दिनांक 20.07.2004 द्वारा माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर कला एवं विज्ञान विषय हेतु क्रमोन्नत किया गया है एवं मान्यता प्राप्त है। इसी क्रम में समिति द्वारा उक्त संस्था को महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने हेतु I.G. Nagar, जगतपुरा, जयपुर में लगभग 2000 वर्ग मीटर भूमि लेने का निणर्य लिया गया हैं।

मान्यवर हमारे द्वारा दिनांक 20.02.2019 को मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल मुख्यालय, जयपुर को वांछित समस्त दस्तावेजों एवं राशि 5900/— रूपये के डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ पत्रावली प्रस्तुत की गयी थी जिसे अग्रिम कार्यवाही हेतु उप—आवासन आयुक्त, वृत—तृतीय कार्यालय में भिजवादी गई। वृत—तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल कार्यालय द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए

संदर्भित पत्र द्वारा संबंधित समस्त आवासीय अभियन्ता खण्ड, जयपुर कार्यालयों से वांछित भूमि की उपलब्धता रिपोर्ट 7 दिवस में चाही गई एवं इसकी सूचनार्थ प्रतिलिपि हमारी संस्था को भी दी गई।

मान्यवर अत्यन्त आश्चर्य का विषय है कि वृत–तृतीय कार्यालय द्वारा उपरोक्त सूचना के पश्चात् आज दिनांक तक की गई किसी भी कार्यवाही से अवगत् नहीं करवाया गया है यहां तक कि स्वयं कई बार कार्यालय में उपस्थित होकर पत्रावली की वर्तमान स्थिति जाननी चाही लेकिन पत्रावली का कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना बताया गया। मुख्यालय में सम्पर्क करने पर डिस्पेच रजिस्टर के आधार पर पत्रावली वृत–तृतीय कार्यालय में होने एवं पुनः नहीं आने का कहा जाता है।

मान्यवर संलग्न पत्र (CP-2) का अवलोकन करें वत–तृतीय के अधीन क्षेत्र में पांच संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया जाना दर्शित किया गया है। लेकिन हमारी संस्था से संबंधित पत्रावली इन्द्राज नहीं की गयी है। मण्डल की Indira Gandhi Nagar जयपुर योजना के विभिन्न सेक्टरों में शिक्षण संस्था हेतु निम्नानुसार भूमि उपलब्ध है (CP-3)

1. सेक्टर – 2	2700.00 वर्ग मीटर	(CP-4)
2. सेक्टर – 3	2707.00 वर्ग मीटर	(CP-5)
3. सेक्टर – 5	2759.00 वर्ग मीटर	(CP-6)
4. सेक्टर – 7	2275.00 वर्ग मीटर	(CP-7)

मान्यवर उपरोक्तानुसार शिक्षण संस्था प्रयोजनार्थ भूमि उपलब्ध है लेकिन संस्था की पत्रावली इन्द्राज नहीं की जाने के कारण माह फरवरी 2019 में आवेदन करने पर आज दिनांक तक आवंटन संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः सविनय निवेदन है कि हमारी संस्था **''न्यू ब्राईट लैण्ड पब्लिक स्कूल समिति मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर''** की पत्रावली से संबंधित आवश्यक कार्यवाही कर संस्था को उपलब्ध भूमि आवंटित करने का श्रम करें।

धन्यवाद!

संलग्न – प्रपत्र 1 से 7

सचिव

न्यू ब्राईट लैण्ड पब्लिक स्कूल समिति
मॉडल टाउन, मालवीय नगर,
जयपुर।
मो: 9829368777

CEM/676
13/8/2020

AM(HQ)

प्रपत्र–अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र

13-08-2020

क्र.सं.	विवरण	आवेदक संस्था द्वारा भरा जाना
1–	संस्था/संगठन का नाम	न्यू ब्राइट लैण्ड पब्लिक स्कूल समिति, मॉडल टाउन
2–	प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	रविन्द्र कुमार माथुर
3–	डाक पता, टेलीफोन नं., मोबाईल नं. एवं मेल आई.डी.	C-79-80 मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर।
4–	भूमि आवंटन का उद्देश्य	महाविद्यालय/विद्यालय संचालन हेतु।
5–	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	2275.00 वर्ग मीटर (Sector-7, I.G.Nagar)
6–	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	2275.00 वर्ग मीटर
7–	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेदश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत् संक्षिप्त विवरण)	संलग्न प्रपत्र
8–	संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण	पूर्व में कोई भूमि का आवंटन नहीं किया गया है।
9–	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज़	
	i– रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	संलग्न प्रपत्र 1-7
	ii– बाईलॉज/रेग्युलेशन	—do— 8-13
	iii– गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेन्स शीट	—do— 14-22
	iv– संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।	संलग्न प्रपत्र संख्या 23,24
	v– प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत् मुख्य विवरण)	—do— 25
	vi– रू. 5900/– (पांच हजार नो सौ रूपये) का बैंक का डी.डी./पे–ऑर्डर जो राजस्थान आवासन मण्डल के नाम हो।	संलग्न DD No: 014828 dt 6/08/2020 RS 5900/-

AHO
13-08-2020
Sr. MIC

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप–विधियां आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 07/08/2020

स्थान : जयपुर

नाम व पद रविन्द्र कुमार माथुर, प्राचार्य

सचिव
न्यू ब्राईटलैण्ड प. स्कूल समिति

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

परिशिष्ट–1

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक / चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत् निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

आवेदक का नाम / पता	रविन्द्र कुमार माथुर / न्यू व्हाइट लैण्ड पब्लिक स्कूल माडल टाउन मालवीय नगर
शहर / कस्बे / कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	इन्दिरा गांधी नगर जगतपुरा जयपुर
चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम / कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	इन्दिरा गांधी नगर जगतपुरा सेक्टर-7 जयपुर
आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	56/जय/1995-96
संस्था का गत तीन वर्ष का आय–व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	संलग्न प्रपत्र
संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये / किये जा रहे कार्यों का विवरण	न्यू व्हाइट लैण्ड प. सी. स्कूल कला एवं विज्ञान
चाही गई भूमि के उपयोग बाबत् परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण	संलग्न प्रपत्र संख्या - 25

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा	SC/ST/OBC एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को एडमिशन, फीस माफी
आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत् नोर्मस	जयपुर शहर मे महाविद्यालय हेतु निर्धारित नार्मस के अनुसार 12000 वर्ग मीटर से अधिक
क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम,, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	नहीं
स्वंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	N.A.
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	
चही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	16480/- प्रति वर्ग मीटर
चही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	
चही गई भूमि नगर निगम / नगर परिषद / स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	सीमा के अन्दर स्थित है।
आवेदक संस्था के पदाधिकारियों / सदस्यों / प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साख संबंधी विवरण	संलग्न प्रपत्र संख्या - 26
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत RTE के अनुसार 25% छात्र-छात्राओं को निःशुल्क अध्ययन
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार / राज्य सरकार / अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	नहीं
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	समाज के कमजोर वर्ग का महाविद्यालय में न्यूनतम शुल्क पर अध्यापन
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के सम्बन्ध में विवरण	पिछड़ी जाति एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्र-छात्राओं को निःशुल्क अध्ययन / आरक्षित दर से 75% (आरक्षित दर का 1/4) रियायत दर दिया जाना अपेक्षित है।
यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा की जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	
आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	
क्या प्रश्नगत भूमि बाबत् वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	नहीं
अन्य विवरण	

Kala

हस्ताक्षर

सचिव
न्यू व्हाइटलैण्ड ... समिति
माडल टा... जयपुर

D/DRB/Letter

[illegible] पंजीयन आदेश

37

1

राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 56/[illegible]/1993-96

यह प्रमाणित किया जाता है कि [illegible]
[illegible]
.... जिला जयपुर .... का
[illegible]
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक .... माह [illegible] सन् एक हजार नौ सौ [illegible] को .... में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं
राजस्थान, जयपुर

रा० स० मु० प्र० लि०, जयपुर-1

सचिव
[illegible]

PRINCIPAL
[illegible] Children Academy
JAIPUR

Sector-7

I.G. Nagar

Jagatpura, Jaipur

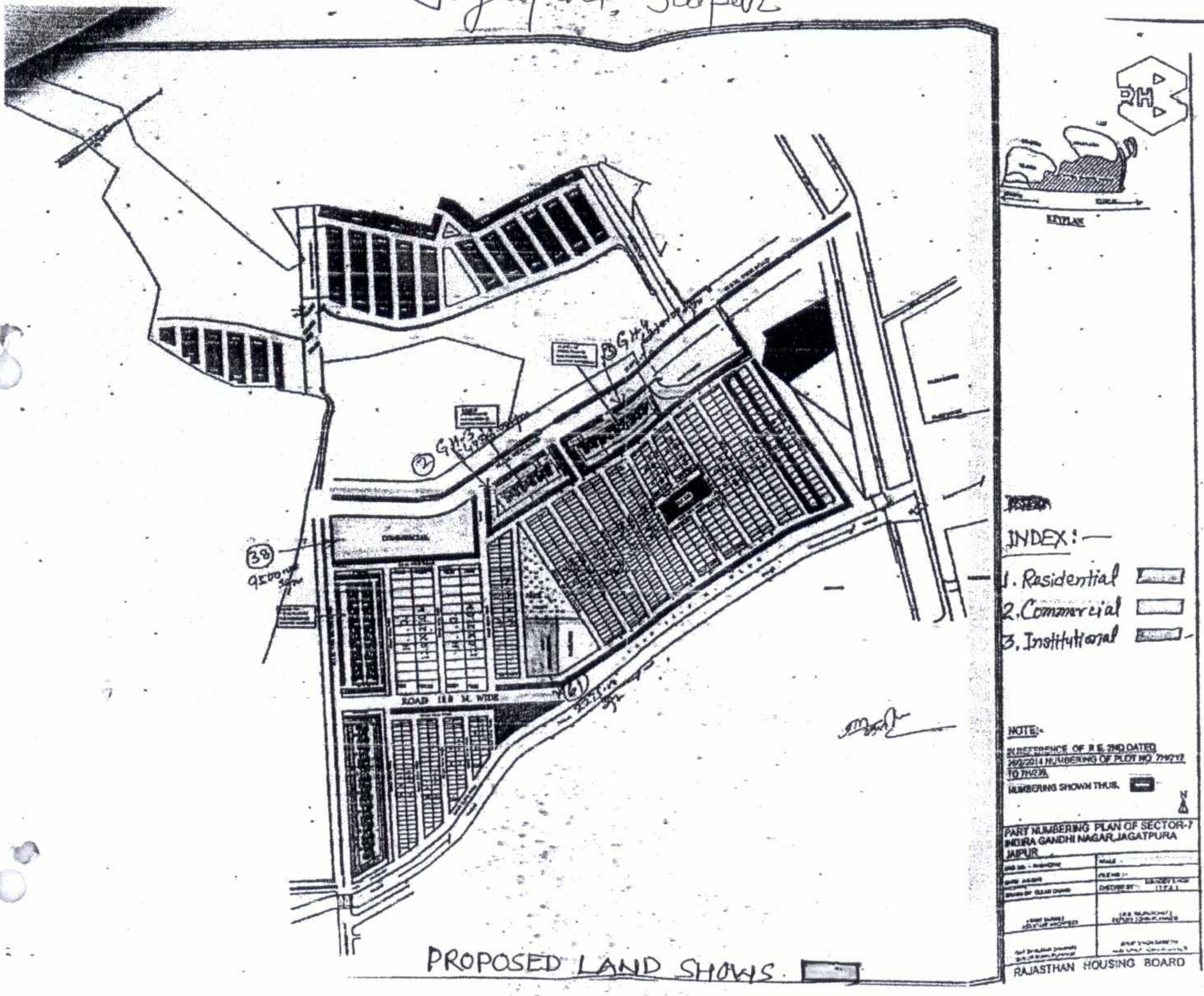

सचिव

मॉडल टाउन, जयपुर

Scanned by CamScanner